

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 10.06.2024

अवैध शराब के निष्कर्षण एवं ब्रिकी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं ब्रिकी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 484/2024 धारा 272 भादवि ,60 आबकारी अधि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र पासवान पुत्र रंगी निवासी मंझनपुर पिड़उ सिंहपुर थाना घोसी जनपद मऊ हा0मु0 आत्मदीप स्कूल के पास सिकटौर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र पासवान पुत्र रंगी निवासी मंझनपुर पिड़उ सिंहपुर थाना घोसी जनपद मऊ हाल मुकाम आत्मदीप स्कूल के पास सिकटौर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 484/2024 धारा 272 भादवि0 60 आबकारी अधि0 व 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. प्र0उ0नि0 वैभव विश्वकर्मा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. प्र0उ0नि0 आदित्य सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 हरेन्द्र सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 हृदयेश कुमार सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
6. का0 अर्जुन शर्मा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
7. का0 अर्जुन यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर